



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14112022-240248
CG-MH-E-14112022-240248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576]
No. 576]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 14 नवम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-

(1) विनियम 25 में,

(क) उप-विनियम (2क) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किए जाने के संबंध में लाए जाने वाले विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) को जरूरी बहुमत न मिल पाए किंतु संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उस संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो और सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उस संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उस संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तो ऐसे में यही माना जाएगा कि उप-विनियम (2क) के तहत उस स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त कर लिया गया है:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के तहत नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक को तभी हटाया जाएगा जब स्वतंत्र निदेशक को हटाए जाने का प्रस्ताव करते हुए लाए गए संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उस संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो और सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उस संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उस संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो।”

(2) विनियम 32 में, उप-विनियम (6) में और उप-विनियम (7) में, शब्दों तथा चिह्नों “सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) या अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) या अर्हित संस्था नियोजन (क्वॉलिफाइड इन्स्टिट्यूशन्स प्लेसमेंट)” आ जाएंगे;

(3) विनियम 52 में,

(क) उप-विनियम (1) में,

(i) मौजूदा परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही हेतु, सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी तिमाही और वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के अलेखापरीक्षित या लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) एकल वित्तीय परिणाम तिमाही के समाप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रस्तुत करेगी:”

(ii) मौजूदा परंतुक में,

क. शब्दों “परंतु यह” के बाद और शब्दों “कि ऐसी एंटीटियों के मामले में” से पहले, शब्द “और” जोड़ा जाएगा;

ख. शब्दों तथा चिह्नों “प्रस्तुत किए गए वित्तीय परिणामों की एक प्रति उसी दिन डिबेंचर न्यासियों (डिबेंचर ट्रस्टी) को भी दी जाएगी जिस दिन स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी प्रस्तुत की जाती हो” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “को जिस दिन वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए जाएँ उसी दिन डिबेंचर न्यासियों (डिबेंचर ट्रस्टी) को भी उनकी एक प्रति प्रदान की जाए” आ जाएंगे।

(ख) उप-विनियम (2) में,

(i) खंड (घ) में, मौजूदा परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि जिन निर्गमकर्ताओं (इश्यूअर) की लेखापरीक्षा (का ऑडिट), लागू कानूनी प्रावधानों के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी (किया जाना) अपेक्षित हो, वे:

(i) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा या पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी की गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट (लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट) प्रस्तुत करेंगे; और

(ii) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से नौ महीनों के भीतर, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करेंगे।”

(ii) खंड (च) हट जाएगा।

(ग) उप-विनियम (2) के बाद और उप-विनियम (3) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(2क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी वित्तीय परिणामों के साथ, एक नोट के माध्यम से, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने पर आस्तियों (असेट्स) और देयताओं का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) प्रस्तुत करेगी।”

(घ) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(4) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते समय, वित्तीय परिणामों के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रकट (डिसक्लोज़) करेगी:

- (क) ऋण (डैट) - इक्विटी अनुपात;
- (ख) कर्ज चुकौती (डैट सर्विस) कवरेज अनुपात;
- (ग) ब्याज चुकौती (इंटरैस्ट सर्विस) कवरेज अनुपात;
- (घ) बकाया मोचनीय अधिमानी शेयर (रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) [संख्या और मूल्य];
- (ङ) पूँजी मोचन आरक्षित (कैपिटल रिडेम्प्शन रिज़र्व) / डिबेंचर मोचन आरक्षित (डिबेंचर रिडेम्प्शन रिज़र्व);
- (च) शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ);
- (छ) कर के पश्चात् शुद्ध लाभ;
- (ज) आमदनी प्रति शेयर;
- (झ) करंट रेशियो;
- (ञ) लांग टर्म डैट टू वर्किंग कैपिटल;
- (ट) बैड डैट्स टू अकाउंट रिसीवेबल रेशियो;
- (ठ) करंट लाइबिलिटी रेशियो;
- (ड) टोटल डैट्स टू टोटल असेट्स;
- (ढ) डैटर्स टर्नओवर;
- (ण) इन्वेंटरी टर्नओवर;
- (त) ऑपरेटिंग मार्जिन का प्रतिशत;
- (थ) नेट प्रॉफिट मार्जिन का प्रतिशत;

परंतु यह कि यदि ऊपर उप-विनियम (4) में दी हुई जानकारी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के मामले में लागू न हो, तो ऐसे में वह ऐसे अन्य रेशियो (अनुपात) / ऐसी ही अन्य वित्तीय जानकारी प्रकट करेगी, जैसा लागू कानूनी प्रावधानों (यदि कोई हों) के तहत रखी जानी अपेक्षित हो।”

(ड) उप-विनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(7) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास, तिमाही वित्तीय परिणामों के साथ, एक विवरण (ऐसे फॉर्मेट में जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए) प्रस्तुत करेगी, जिसमें असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) से आए पैसों (आगमों / प्रोसीड्स) के इस्तेमाल का ब्यौरा दिया जाएगा, और ऐसा तब तक किया जाता रहेगा जब तक निर्गम से आए पैसों का पूरी तरह से इस्तेमाल न कर लिया जाए या जब तक वह प्रयोजन पूरा न हो जाए जिसके लिए पैसे जुटाए गए थे।”

(च) उप-विनियम (7क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(7क) निर्गम (इश्यू) के उद्देश्यों के अनुसार असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) से आए पैसों (प्रोसीड्स) का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाना था, उसकी तुलना में यदि पैसों के इस्तेमाल में कोई बड़ा फर्क (विचलन) आता हो, तो ऐसे में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास, तिमाही वित्तीय परिणामों के साथ उसका उल्लेख करते हुए एक विवरण (ऐसे फॉर्मेट में जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए) प्रस्तुत करेगी, और ऐसा

तब तक किया जाता रहेगा जब तक निर्गम से आए पैसों का पूरी तरह से इस्तेमाल न कर लिया जाए या जब तक वह प्रयोजन पूरा न हो जाए जिसके लिए पैसे जुटाए गए थे।”

(छ) उप-विनियम (8) में,

(i) शब्दों, चिहनों तथा अंक “उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट वित्तीय परिणाम और विवरण” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “वित्तीय परिणाम और उप-विनियम (4) के अनुसार जानकारी” आ जाएंगे;

(ii) चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा।

(ज) उप-विनियम (8) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों के पास, एकल और समेकित दोनों वित्तीय परिणाम प्रस्तुत कर चुकी हो, तो ऐसे में वह समाचारपत्र में, समेकित वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उप-विनियम (4) के अनुसार जानकारी भी प्रकाशित करेगी।”

(4) विनियम 59 के बाद और विनियम 60 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“इंतजाम की स्कीम का प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेजमेंट) और इंतजाम की स्कीम

59क. (1) विनियम 11 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-234 तथा धारा 66 के तहत इंतजाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेजमेंट) चलाने की इच्छुक या इंतजाम की स्कीम में शामिल सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी [जिसने असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया हो], स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास इंतजाम की स्कीम का प्रारूप [अनुसूची-XI में यथा निर्धारित फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) के साथ], राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल) के पास ऐसी स्कीम को दाखिल किए जाने से पहले, बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अपेक्षाओं के अनुसार दाखिल करेगी, ताकि अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जा सके।

(2) सूचीबद्ध एंटीटी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-234 तथा धारा 66 के तहत, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के पास इंतजाम की कोई स्कीम तब तक दाखिल नहीं करेगी, जब तक कि वह स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) से अनापत्ति पत्र प्राप्त न कर ले।

(3) सूचीबद्ध एंटीटी इंतजाम की स्कीम के संबंध में मंजूरी माँगते समय स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के अनापत्ति पत्र को उसी प्रकार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष रखेगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का अनापत्ति पत्र उसे जारी किए जाने की तारीख से छह महीने तक मान्य रहेगा और उस अवधि के भीतर ही सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा इंतजाम की स्कीम का प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेजमेंट) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के यहाँ दाखिल किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा स्कीम मंजूर किए जाने पर, सूचीबद्ध एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगी, जो बोर्ड और/या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ।

(5) सूचीबद्ध एंटीटी ऐसी अन्य अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करेगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।

(6) इस विनियम के तहत और इन विनियमों के विनियम 94क के तहत यथा निर्धारित अपेक्षाएँ, दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के भागस्वरूप मंजूर किए गए पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चरिंग) के प्रस्ताव पर लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि इससे संबंधित ब्यौरे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को, समाधान योजना के संबंध में मंजूरी मिलने के एक दिन के भीतर, सूचित कर दिए जाएँ।”

(5) विनियम 61क में,

(क) उप-विनियम (3) में, शब्दों “कर दी जाएगी” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

(ख) उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि जो सूचीबद्ध एंटीटियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 में दी हुई ‘कंपनी’ की परिभाषा और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में नहीं आतीं, उनके मामले में एस्करो (निलंब) खाते में पड़ी ऐसी रकम अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बोर्ड द्वारा बनाई गई निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड) में अंतरित (ट्रांसफर) कर दी जाएगी जिसके संबंध में सात वर्षों से कोई दावा न किया गया हो।”

(6) विनियम 94 में, शीर्षक में, शब्दों “एवं इंतजाम की स्कीम” के बाद, शब्द तथा चिह्न “[उन एंटीटियों के मामले में जिन्होंने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियों (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध कराया हो]” जोड़े जाएँगे।

(7) विनियम 94 के बाद और विनियम 95 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“इंतजाम की स्कीम का प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेन्जमेंट) और इंतजाम की स्कीम [उन एंटीटियों के मामले में जिन्होंने अपनी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या अपने असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) को सूचीबद्ध कराया हो]

94क. (1) विनियम 59क के उप-विनियम (1) के तहत इंतजाम की स्कीमों का प्रारूप और दस्तावेज प्राप्त होने पर, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज उन्हें बोर्ड के पास उसी प्रकार भिजवाएगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के पास, यह सुनिश्चित करने के बाद कि इंतजाम की स्कीम के प्रारूप के संबंध में प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, इंतजाम की स्कीम का प्रारूप के संबंध में अपना अनापत्ति पत्र, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई समय-सीमाओं के भीतर प्रस्तुत करेगा (करेंगे)।

(3) स्टॉक एक्सचेंज, उसी प्रकार और उन समय-सीमाओं के भीतर, सूचीबद्ध एंटीटी को अनापत्ति पत्र जारी करेगा (करेंगे), जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि स्टॉक एक्सचेंजों का अनापत्ति पत्र उसे जारी किए जाने की तारीख से छह महीने तक मान्य रहेगा।

(4) स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा इंतजाम की स्कीम को मंजूरी प्रदान किए जाने के समय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को आपत्तियों से अवगत कराएगा (कराएँगे)।

(5) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा स्कीम को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद, स्टॉक एक्सचेंज विनियम 59क के उप-विनियम (4) के अनुसार सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में बोर्ड को अपनी सिफारिशें भेजेगा।”

(8) अनुसूची-II में, भाग-ग में, पैरा-क में, खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(6) प्रबंध-मंडल के साथ मिलकर, निर्गम [सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू), साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू), अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू), आदि] के माध्यम से जुटाई गई निधियों (फंड्स) का इस्तेमाल किए जाने / को लगाए जाने संबंधी विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल में लाई गई निधियों के विवरण और सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) या अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) या अर्हित संस्था नियोजन (क्वॉलिफाइड इन्स्टिट्यूशन्स प्लेसमेंट) से आए पैसों (आगमों / प्रोसीड्स) के इस्तेमाल पर नज़र रखने वाली (को मॉनीटर करने) वाली अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समीक्षा करना, और इस मामले में कदम उठाने के संबंध में बोर्ड को समुचित सिफारिश करना;”

(9) अनुसूची-XI के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची आ जाएगी, अर्थात्,-

“अनुसूची-XI – इंतजाम की स्कीम के प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेन्जमेंट) के संबंध में फीस

[विनियम 37, 59क, 94 एवं 94क देखें]

1. जिस एंटीटी ने, निर्धारित प्रतिभूतियों (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया हुआ हो, या निर्धारित प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) को सूचीबद्ध कराया हुआ हो, वह इंतजाम की स्कीम के प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेन्जमेंट) के साथ, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा स्कीम को मंजूर किए जाने के बाद, सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी / जिस कंपनी को अंतरित (ट्रांसफर) किया गया हो उस कंपनी (अंतरिती / ट्रांसफरी कंपनी) / परिणामी (रिज़ल्टिंग) कंपनी की समादत्त शेयर पूँजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) [जिसकी भी अधिक हो] के 0.1% की दर से फीस प्रेषित करेगी:

परंतु यह कि देय फीस की कुल रकम पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

2. जिस एंटीटी ने केवल असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्क्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) को सूचीबद्ध कराया हुआ हो, वह इंतजाम की स्कीम के प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के साथ, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा स्कीम को मंजूर किए जाने के बाद, सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी / जिस कंपनी को अंतरित (ट्रांसफर) किया गया हो उस कंपनी (अंतरिती / ट्रांसफरी कंपनी) / परिणामी (रिज़ल्टिंग) कंपनी के बकाया ऋण (डैट) की रकम (जिसकी भी अधिक हो) के 0.1% की दर से फीस प्रेषित करेगी:

परंतु यह कि देय फीस की कुल रकम पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

3. फीस बोर्ड के बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से अदा की जाएगी।"

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./401/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
 - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

- छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
- ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा
- झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
- ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा
- ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा
- ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा
- ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा
- ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा
- ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा
- थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा
- द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा
- ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा

- प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा
- फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा
- ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा
- भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/35, द्वारा
- य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/42, द्वारा
- कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47, द्वारा
- खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/55, द्वारा
- गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा
- घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा
- ङङ) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा
- चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा
- छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th November, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/103.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, –

(1) in regulation 25,

- (a) in sub-regulation (2A), the following provisos shall be inserted, namely, -

“Provided that where a special resolution for the appointment of an independent director fails to get the requisite majority of votes but the votes cast in favour of the resolution exceed the votes cast against the resolution and the votes cast by the public shareholders in favour of the resolution exceed the votes cast against the resolution, then the appointment of such an independent director shall be deemed to have been made under sub-regulation (2A):

Provided further that an independent director appointed under the first proviso shall be removed only if the votes cast in favour of the resolution proposing the removal exceed the votes cast against the resolution and the votes cast by the public shareholders in favour of the resolution exceed the votes cast against the resolution.”

- (2) in regulation 32, in sub-regulation (6) and in sub-regulation (7), the words “*public or rights issue*” shall be substituted with the words “*public issue or rights issue or preferential issue or qualified institutions placement*”.

(3) in regulation 52,

- (a) in sub-regulation (1),

- (i) the following proviso shall be inserted before the existing proviso, namely, -

“Provided that for the last quarter of the financial year, the listed entity shall submit un-audited or audited quarterly and year to date standalone financial results within sixty days from the end of the quarter to the recognised stock exchange(s).”

- (ii) in the existing proviso,

A. after the word “*provided*” and before the words “*that in case of entities which have listed*”, the word “*further*” shall be inserted.

B. the words “*the information is submitted to stock exchanges*” shall be deleted.

- (b) in sub-regulation (2),

- (i) under clause (d), the existing proviso shall be substituted with the following, namely –

“Provided that issuers, which are required to be audited by the Comptroller and Auditor General of India under applicable law, shall submit:

- (i) *un-audited financial results along with the limited review report issued by the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed by the*

Comptroller and Auditor General of India or a Practising Chartered Accountant, to the stock exchange(s), within sixty days from the end of the financial year; and

(ii) the financial results, audited by the Comptroller and Auditor General of India, to the stock exchange(s), within nine months from the end of the financial year.”

(ii) clause (f) shall be omitted.

(c) after sub-regulation (2) and before sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely –

“(2A) The listed entity shall submit a statement of assets and liabilities and statement of cash flows as at the end of every half year, by way of a note, along with the financial results.”

(d) sub-regulation (4) shall be substituted with the following, namely -

“(4) The listed entity, while submitting quarterly and annual financial results, shall disclose the following line items along with the financial results:

(a) debt-equity ratio;

(b) debt service coverage ratio;

(c) interest service coverage ratio;

(d) outstanding redeemable preference shares (quantity and value);

(e) capital redemption reserve/debenture redemption reserve;

(f) net worth;

(g) net profit after tax;

(h) earnings per share;

(i) current ratio;

(j) long term debt to working capital;

(k) bad debts to Account receivable ratio;

(l) current liability ratio;

(m) total debts to total assets;

(n) debtors' turnover;

(o) inventory turnover;

(p) operating margin percent;

(q) net profit margin percent;

Provided that if the information mentioned in sub-regulation (4) above is not applicable to the listed entity, it shall disclose such other ratio/equivalent financial information, as may be required to be maintained under applicable laws, if any.”

(e) sub-regulation (7) shall be substituted with the following, namely -

“(7). The listed entity shall submit to the stock exchange(s), along with the quarterly financial results, a statement indicating the utilisation of the issue proceeds of non-convertible securities, in such format as may be specified by the Board, till such proceeds of issue have been fully utilised or the purpose for which the proceeds were raised has been achieved.”

(f) sub-regulation (7A) shall be substituted with the following, namely -

“(7A). The listed entity shall submit to the stock exchange(s), along with the quarterly financial results, a statement disclosing material deviation(s) (if any) in the use of issue proceeds of non-convertible securities from the objects of the issue, in such format as may

be specified by the Board, till such proceeds have been fully utilised or the purpose for which the proceeds were raised has been achieved.”

(g) in sub-regulation (8),

(i) the word “*statement*” shall be substituted with the words “*the line items*”.

(ii) the symbol “.” after the words “*substantially the whole of India*” shall be substituted with the symbol “:”.

(h) under sub-regulation (8), the following proviso shall be inserted, namely -

“Provided that if the listed entity has submitted both standalone and consolidated financial results, to the stock exchange(s), it shall publish consolidated financial results along with the line items referred to in sub-regulation (4), in the newspaper.”

(4) after regulation 59 and before regulation 60, the following regulation shall be inserted, namely, -

“Draft Scheme of Arrangement and Scheme of Arrangement.

59A. (1) *Without prejudice to the provisions of regulation 11, the listed entity that has listed non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares, intends to undertake a scheme of arrangement or is involved in a scheme of arrangement under sections 230-234 and section 66 of the Companies Act, 2013, shall file the draft scheme of arrangement with the stock exchange(s), along with a non-refundable fee as specified in Schedule XI, for obtaining the No-objection letter, before filing of such scheme with the National Company Law Tribunal, in terms of the requirements specified by the Board or stock exchange(s) from time to time.*

(2) *The listed entity shall not file any scheme of arrangement under sections 230-234 and section 66 of the Companies Act, 2013, with the National Company Law Tribunal unless it has obtained a No-objection letter from the stock exchange(s).*

(3) *The listed entity shall place the No-objection letter of the stock exchange(s) before the National Company Law Tribunal at the time of seeking approval for the scheme of arrangement in the manner as may be specified by the Board from time to time:*

Provided that the validity of the No-objection letter of the stock exchange(s) shall be six months from the date of issuance, within which the draft scheme of arrangement shall be filed by the listed entity with the National Company Law Tribunal.

(4) *Upon sanction of the Scheme by the National Company Law Tribunal, the listed entity shall submit such documents, to the stock exchange(s), as may be specified by the Board and/ or stock exchange(s) from time to time.*

(5) *The listed entity shall ensure compliance with such other requirements as may be specified by the Board from time to time.*

(6) *The requirements as specified under this regulation and under regulation 94A of these regulations shall not apply to a restructuring proposal approved as part of a resolution plan by the National Company Law Tribunal under section 31 of the Insolvency Code, subject to the details being disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.”*

(5) in regulation 61A,

(a) in sub-regulation (3), the symbol “:”, after the words “*section 125 of the Companies Act, 2013*”, shall be substituted with the symbol “.”.

(b) under sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that for listed entities which do not fall within the definition of “company” under the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, any amount in the escrow account that remains unclaimed for seven years shall be transferred to the Investor Protection and Education Fund created by the Board in terms of section 11 of the Act.”

- (6) in regulation 94, in the heading after the words “*Draft Scheme of Arrangement and Scheme of Arrangement*”, the words “*in case of entities that have listed their specified securities*” shall be inserted.
- (7) after regulation 94 and before regulation 95, the following shall be inserted, namely, -
- “Draft Scheme of Arrangement & Scheme of Arrangement in case of entities that have listed their non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares.**
- 94A. (1) Upon receipt of the draft schemes of arrangement and the documents under sub-regulation (1) of regulation 59A, the designated stock exchange shall forward the same to the Board, in such manner as may be specified by the Board.
- (2) The stock exchange(s) shall submit to the Board its No-Objection Letter on the draft scheme of arrangement, after ascertaining whether the draft scheme of arrangement is in compliance with securities laws, within the timelines as may be specified by the Board from time to time.
- (3) The stock exchange(s), shall issue No-objection letter to the listed entity in the manner and within the timelines, as may be specified by the Board from time to time:
- Provided that the validity of the No-objection letter of stock exchanges shall be six months from the date of issuance.
- (4) The stock exchange(s) shall bring the objections to the notice of National Company Law Tribunal at the time of approval of the scheme of arrangement by the National Company Law Tribunal.
- (5) Upon sanction of the Scheme by the National Company Law Tribunal, the stock exchange shall forward its recommendations to the Board on the documents submitted by the listed entity in terms of sub-regulation (4) of regulation 59A.”
- (8) in Schedule II, in Part C, in Paragraph A, in clause (6), the words “*public or rights issue*” shall be substituted with the words “*public issue or rights issue or preferential issue or qualified institutions placement*”.
- (9) Schedule XI shall be substituted with the following, namely –

“Schedule XI – Fee in respect of draft scheme of arrangement

[see regulations 37, 59A, 94 and 94A]

1. An entity with listed specified securities, or listed specified securities and listed non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares, shall, along with the draft scheme of arrangement, remit a fee at the rate of 0.1% of the paid-up share capital of the listed/ transferee/ resulting company, whichever is higher, post the sanction of the scheme by the National Company Law Tribunal:

Provided that the total amount of fees payable shall not exceed five lakh rupees.

2. An entity with only listed non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares, shall, along with the draft scheme of arrangement, remit a fee at the rate of 0.1% of the amount of outstanding debt of the listed/ transferee/ resulting company, whichever is higher, post the sanction of the scheme by the National Company Law Tribunal:

Provided that the total amount of fees payable shall not exceed five lakh rupees.

3. The fees shall be paid by way of direct credit to the bank account of the Board through NEFT/ RTGS/ IMPS or any other mode allowed by RBI or by means of a demand draft in favour of “Securities and Exchange Board of India” payable at Mumbai.”

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./401/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on September 2, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/008.
 - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
 - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
 - f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
 - g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
 - h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
 - i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
 - j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
 - k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
 - l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
 - m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.

- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/42.
- aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/47.
- bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/55.
- cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.
- dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/76.

- ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/79.
- ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.
- gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022, vide modification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/88.